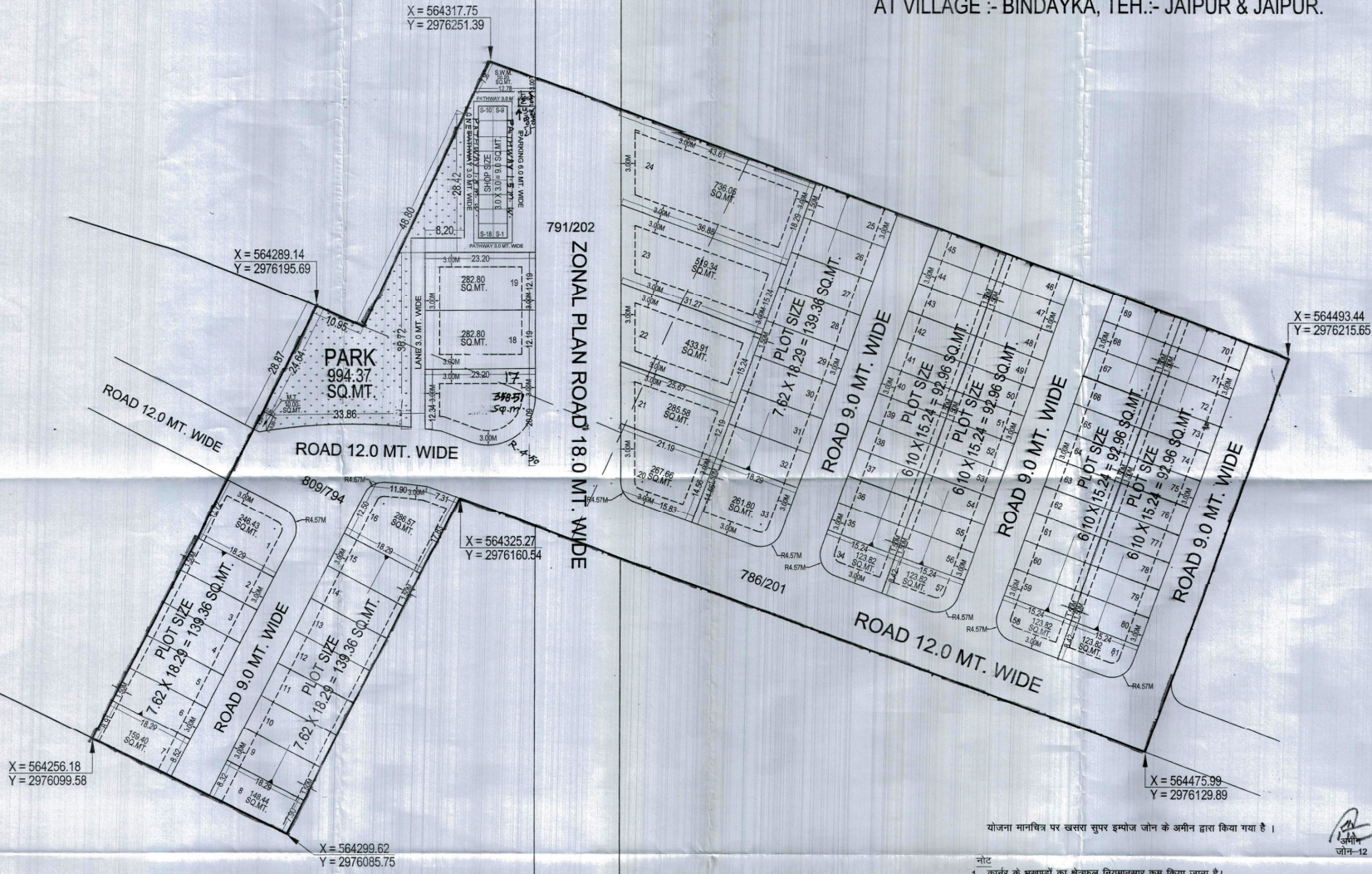
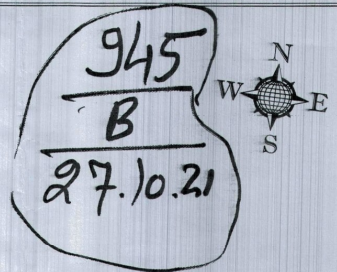
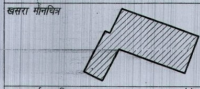


PROPOSED LAY OUT PLAN OF "RIYASAT PRIME BLOCK-A"

UNDER KHASRA NO.- 786/201, 791/202, 809/794.
AT VILLAGE :- BINDAYKA, TEH.-: JAIPUR & JAIPUR.



ज.वि.प्रा.



कार्य विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भू-उपयोग
अनुसंधान भू-उपयोग की विधि निर्दिष्ट :-
1. भू-उपयोग क्षेत्र = 81
2. भू-उपयोग क्षेत्र = 5.18

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR)	(%)
1.	RESIDENTIAL	11605.35	58.41 %
2.	RETAIL	162.00	0.82 %
TOTAL = 1 TO 3		11767.35	59.23 %
3.	PARK	994.37	05.00 %
4.	S.W.M.	56.20	0.28 %
5.	MOBILE TOWER	20.01	0.10 %
6.	ZONAL ROAD	1678.57	08.45 %
7.	ROAD	5352.50	26.94 %
TOTAL = 3 TO 7		8101.65	40.77 %
TOTAL = 1 TO 7		19869.00	100.00 %
SCHEME AREA		(01.9869 HECT)	

योजना की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए भू-उपयोग क्षेत्र का अनुसंधान किया गया है।
योजना की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए भू-उपयोग क्षेत्र का अनुसंधान किया गया है।

योजना की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए भू-उपयोग क्षेत्र का अनुसंधान किया गया है।
योजना की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए भू-उपयोग क्षेत्र का अनुसंधान किया गया है।

योजना की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए भू-उपयोग क्षेत्र का अनुसंधान किया गया है।
योजना की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए भू-उपयोग क्षेत्र का अनुसंधान किया गया है।

योजना की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए भू-उपयोग क्षेत्र का अनुसंधान किया गया है।
योजना की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए भू-उपयोग क्षेत्र का अनुसंधान किया गया है।

योजना की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए भू-उपयोग क्षेत्र का अनुसंधान किया गया है।
योजना की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए भू-उपयोग क्षेत्र का अनुसंधान किया गया है।

योजना की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए भू-उपयोग क्षेत्र का अनुसंधान किया गया है।
योजना की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए भू-उपयोग क्षेत्र का अनुसंधान किया गया है।

ZONAL PLAN ROAD 30.0 MT. WIDE

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

नोट

- कार्पर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- आवृत्ति भू-उपयोग की कार्यवाही दिनांक 10.08.2021 को हो चुकी है।
- योजना की भूमि में रा.भू.उ.अ.वि.नियम की धारा 80(1) की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं नौके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एज में आवंटित द्वारा भूखण्ड संख्या 22, 24, 25, 46 एवं भूखण्ड संख्या 69 कुल 5 भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 1448.24 वर्गमीटर है, जो जचिमा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल को घटे रहना रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास भूखण्ड जमा करारक अविवार प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जाएगा।
- योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 303 वीं बैठक दिनांक 07.08.2021 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय को अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत भू-उपयोग कॉमर्शियल एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत भू-उपयोग पू-1 (आवासीय) है एवं नगर नियम सीमा में स्थित है।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- बी.पी.सी. (एल.पी.) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक जचिमा (जयपुर रीजन मदन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

सहायक नगर निरीक्षक
जोन-12
सहायक नगर निरीक्षक
जोन-12
उपनिरीक्षक
जोन-12
वरिष्ठ नगर निरीक्षक
बी.पी.सी. (एल.पी.)
अतिरिक्त मुख्य नगर निरीक्षक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
301, Third Floor Prism Tower,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829045031